चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 27.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा 04 घण्टे के अन्दर गुमशुदा बालकों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि कल आज दिनांक 26.02.24 को महर्षि वाल्मीकि आश्रम/ असावर देवी माता मंदिर लालापुर में अंतिम सोमवार को लगने वाले मेले में सायं करीब 15:30 बजे एक बच्चा उम्र लगभग 02 वर्ष अपने माता-पिता, परिजन से बिछड़ गया था। बच्चे के माता-पिता गांव के अनेकों लोगों के साथ मेले में आए थे जो लापरवाही से अपने बच्चे को मेले में ही छोड़कर घर चले गए थे। बच्चा पुलिस को मेले में रोता हुआ मिला। काफी प्रयास,खोज खबर करके बच्चे के माता-पिता का पता किया गया जो अपने बच्चों को खोजते हुए करीब चार-पांच घंटे बाद पुनः मेला स्थल आए और अपने बच्चे को पहचाना। बच्चे का नाम सूरज रैदास पुत्र मनीष उम्र करीब 02 वर्ष जो ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट का रहने वाला है। उसके पिता मनीष रैदास पुत्र

राम प्रसाद, माता श्रीमती रंजना पत्नी मनीष, दाई श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राम प्रसाद ,दादा अमृतलाल पुत्र बिहारी लाल, कल्लू राम पुत्र निरपत प्रसाद निवासीगण कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट की उपस्थिति में बच्चे को उसके माता-पिता को सुपुर्द किया गया। बालकों को पाकर परिजन के चेहरे पर लौटी मुस्कान एवं पुलिस की सक्रियता के लिये पुलिस का धन्यवाद प्रकट किया।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष रैपुरा उ0नि0 श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री रवि कान्त राय
3. मुख्य आरक्षी अशोक कुमार
4. आरक्षी अजीत यादव
5. महिला आरक्षी दीक्षा यादव प्रथम

(4) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र सीताराम निवासी जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 आर्म्स एक्स पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी प्रभारी चौकी शिवरामपुर
2. उ0नि0 राधेश्याम सिंह
3. आरक्षी नरेन्द्र कुमार

(5) आज दिनांक 27.02.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में महोदय द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में गुमशुदा एवं अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैयां तथा उनकी टीम द्वारा एक अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय की दिनांक 20.01.2024 को वादिया द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी थी कि उनकी नाबालिक पुत्री को अभियुक्त मोनू रैदास पुत्र श्रीकेशन रैदास निवासी हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 07/2024 धारा 363 भादवि बनाम सोनू रैदास उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चौकी प्रभारी सरैयां को निर्देशित किया गया था। चौकी प्रभारी सरैयां तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये उपरोक्त मुकदमा से संम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त सोनू रैदास उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अपहृता की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। बाद विधिक कार्यवाही अपहृता को CWC के समक्ष परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. चौकी प्रभारी सरैयां श्री यदुवीर सिंह
2. आरक्षी मनोज कुमार
3. आरक्षी चन्द्रभूषण राय
4. आरक्षी अनुज द्विवेदी

5.महिला आरक्षी ज्योति सबरैया

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ व एसओजी चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 07/2024 धारा 3/5क/8 गौ वध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 57/2023 धारा 429 भादवि0 व धारा 3/5क/8 गौ वध निवारण अधिनियम के 03 अन्तर्राज्यीय गौकश एवं गौ-तस्करों को 02 अदद तमंचा, 04 अदद कारतूस, 04 अदद छूरा, 02 अदद लोहे की स्टील राड व 01 बाका एवं 01 अदद स्कार्पियों कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1. मोहम्मद फैजान पुत्र अब्दुल कय्यूम उम्र करीब 29 वर्ष निवासी अहमदपुर असरौली थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज
2. मोहम्मद नैस पुत्र मोहम्मद इरफान उम्र 25 वर्ष निवासी खेढ़ुवा थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज
3. सद्दाम पुत्र मोहम्मद शकील निवासी मरियाडीह उम्र 28 वर्ष थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज

<u>बरामदगीः-</u>

1. 01 अदद स्कार्पियों कार UP 60 F 8806 (कूट रचित नम्बर प्लेट)
2. 02 अदद तमंचा
3. 04 अदद कारतूस
4. 04 अदद छूरा
5. 02 अदद लोहे की स्टील राड
6. 01 बाका

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः-</u>

चन्नाड हरदीकला की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट दिनांक 27.02.2024 समय 07.40 बजे

<u>सक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 04.02.2024 को वादी सूबेदार कोल पुत्र गंगाप्रसाद कोल निवासी ग्राम महरजा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि मेरा 01 बैल (साड़) रंग सफेद व दादूलाल पुत्र श्री मुन्नीलाल कोल निवासी उपरोक्त का 01 बैल रंग सफेद गांव के बाहर पेड़ के नीचे बंधे थे कोई अज्ञात व्यक्ति वहाँ से ले जाकर करीब 400 मीटर दूर महरजा जंगल में काट कर उसका मास ले गये जहाँ पर बैल(साड़) को काटे है। वहाँ पर बैल (साड़) की मुण्डी व कुछ मांस व खाल पड़ी है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2024 धारा 3/5क/8 गौ वध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ व प्रभारी एसओजी को गौ-वध का पर्दाफास करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गये।

आज दिनांक 27.02.2024 को जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी की महरजा जंगल में गोवंश काटे जाने की जो घटना है। उस घटना से सम्बन्धित अपराधी जो प्रयागराज की तरफ से आकर आज फिर जंगल की तरफ जाने वाले है यदि जल्दी किया जाए तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर थाना बरगढ़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चन्नाड की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट से एक स्कार्पियों कार रंग सफेद में सवार 03 बदमाशों को घेरा बन्दी व आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से नाम व पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम मोहम्मद फैजान पुत्र अब्दुल कय्यूम उम्र करीब 29 वर्ष निवासी अहमदपुर असरौली थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज जिसकी जामा तलाशी से एक अदद तमन्चा 315 बोर व पहनी पैन्ट के दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद नैस पुत्र मोहम्मद इरफान उम्र 25 वर्ष निवासी खेढ़ुवा थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज बताया जिसकी जामा तलाशी से एक अदद तमन्चा 12 बोर दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम सद्दाम पुत्र मोहम्मद शकील निवासी मरियाडीह उम्र 28 वर्ष थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज बताया। जिसकी जामा तलाशी से जानवर काटने के 04 अदद छूरा, दो अदद राड स्टील बरामद हुआ। अभियुक्तगणों से बरामदा देशी तमन्चा कारतूस व छूरा बांका आदि के सम्बन्ध मे रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने नही पाये और अपनी गलती की माफी मागने लगे। अभियक्तगणों का धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। तथा

अभियुक्तगणों से बरामद स्कार्पियो वाहन संख्या यू0 पी0 60 एफ0 8806 के सम्बन्ध मे पुछा गया तो सभी लोगो ने संयुक्त रुप से बताया कि यह गाडी जिससे हम सभी भाग रहे है उन्ही में से इब्राहिम पुत्र हारुन निवासी हटवा असरौली थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज की है जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर को चलानी ऐप मे डाल कर देखा गया तो उक्त नम्बर का पंजीकृत स्वामी प्रिंस कुमार चौरसिया पुत्र ओमप्रकाश चौरसिया निवासी मिड्डा फेंफना बलिया के नाम से पंजीकृत है,जो मोटर साइकिल सुपर स्पेल्डर का नम्बर है। चालान ऐप पर दिखायी दे रहा है। अभियुक्तगणों का यह कृत्य धारा 467/468/471 भादवि0 का दण्डनीय अपराध है। पकड़े गये व्यक्तियो से पूंछताछ की गयी तो इब्राहिम, जुनैद अहमद, अवधेश पासी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम सब गाय बैलो को इन हथियारो से काटकर उनका मांस इसी स्कार्पियो मे रखकर बेचने हेतू ले जाते है तथा सभी लोग बेचे हुए गौ मांस का पैसा आपस में बाट लेते है तथा अभियुक्तगणों ने बताया कि दिनाँक 03/04/2/2024 को हम सभी लोगो ने मिलकर दो बैल (साड़) को महरजा गाँव से बाड़ा से निकालकर साड़ो के गले मे रस्सी डालकर मारते पीटते हुए जंगल मे ले गये थे तथा सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से उनके पैर रस्सी से बांध कर उन्हे गिराकर काट दिये थे परन्तु गाँव का एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसे देखकर हम लोग डर वश उन्हें उसी हालत मे छोड़कर भाग गये थे।

गिरफ्तार करने वाली थाना बरगढ़ पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य
2.उ0नि0 श्री पवन कुमार प्रधान
3.उ0नि0 श्री रामआधार सिंह
4.आरक्षी रंजीत यादव
5.आरक्षी रोहित यादव

गिरफ्तारी करने वाली एसओजी चित्रकूट टीमः-

1.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
2. मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
3.आरक्षी रोहित सिंह
4.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थाना भरतकूप एवं एसओजी चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 22/2024 धारा 302/120बी भादवि0 के नामजद 03 अभियुक्त व 01 नामजद अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. इलियास खान पुत्र यासीन खान निवासी ग्राम टिकुरी पुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा
2. ललित किशोर पुत्र फूलचन्द्र पटेल निवासी महुराईअंश दोबरिया जिला बांदा
3. बरकत पुत्र यासीन खान निवासी ग्राम टिकुरी पुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा
4. सविता पत्नी रामबाबू पटेल (मृतक) निवासी फाटापुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

टिकुरी पुरवा मोड थाना बदौसा जनपद बांदा दिनांक 27.02.2024 समय 12.51 पी0एम0

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 18.02.2024 को वादी रामशरण पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी फाटापुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी भांजी पिंकी सुबह भैस लगाने के लिये रामबाबू के घर गई तो दरबाजा अन्दर से बन्द था फोन लगाने पर नही उठ रहा था रामबाबू की पत्नी बच्चे रसिन से कंठीपुर गये हुये थे पिंकी के बताने पर मैं व मेरा भतीजा कंचन आये बाहर सीढी लगा कर छत के सहारे अन्दर गये और दरवाजे के सिटकनी खोलकर देखा तो रामबाबू अपने विस्तर पर लेटा हुआ था बिस्तर पर खून भरा था उसको बन्दूख की गोली लगी थी तथा मृत अवस्था मे था इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 22/2024 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष भरतकूप व प्रभारी एसओजी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

आज दिनांक 27/02/24 को विवेचना से प्रकाश में आये इलियास खान की तलाश मे ग्राम टिकुरी पुरवा के लिये जा रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की आप जिस इलियास खान की तलाश में जा रहे हो वह टिकुरी मोड पर वाहन का इन्तजार कर रहा है जो कही जाने की फिराक में है अगर जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है, हम लोगो द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टिकुरी पुरवा मोड पर पहुंच सड़क किनारे खड़े इलियास खान को पकड लिया। पकडे हुए व्यक्ति से नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम इलियास खान पुत्र यासीन खान नि0 ग्राम टिकुरी पुरवा थाना बदौसा जिला बांदा बताया,जिससे कडाई से पूंछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं रामबाबू पटेल की पत्नी सविता पटेल से प्रेम करता हूँ। करीब 5-6 महीना पहले धोखे से मुझसे मेरी व सविता की साथ वाली एक फोटो फेसबुक पर पोस्ट हो गयी थी, जिसको ग्राम फाटा पुरवा के लोगो ने देख लिया था तथा रामबाबू को बता दिया था। इसी बात को लेकर 5-6 महीना पहले रामबाबू ने मेरे साथ अपने गाँव मे हाथापाई कर दी थी। जिससे मेरी गांव वालों के सामने बेइज्जती हो गयी थी और रामबाबू ने मेरे और सविता के मिलने पर पाबन्दी लगा दी थी। तभी मैने ठान लिया था कि अपने और सविता के बीच मे रोडा बने रामबाबू को किसी न किसी दिन मार डालूंगा। फिर मैने अपने दोस्त फैजल पुत्र अमन्ता निवासी टिकुरी व अपने भाई बरकत अली तथा अपने दोस्त ललित किशोर पुत्र फूलचन्द्र पटेल नि0 महुराईअंश दोबरिया जिला बांदा तथा सविता के साथ मिलकर रामबाबू पटेल को मारने की योजना बनाई। जिसमें रामबाबू को मारने के लिये ललित किशोर ने एक 315 बोर का देशी तमंचा व 2 कारतूस दिये। दिनांक 17/02/2024 को सविता अपने मायके में थी जहां से हम दोनो की फोन से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि आज रात में मेरे पति घर पर अकेले हैं , यह बात जानने पर मैं और फैजल अपने गांव टिकुरी से चलकर ग्राम फाटा पुरवा आया जहां पर रामबाबू के घर के पीछे से चढकर मैं और फैजल छत के रास्ते से घर में अन्दर पहुचे तो देखा कि रामबाबू बरामदे मे तखत पर सो रहा था। मेरे द्वारा तमंचे से उसके कनपटी पर तमंचा रखकर फायर कर दिया। और हम लोग छत के रास्ते कूदकर भाग आये अगल दिन ही मेरा दोस्त फैजल और मैं तमंचा वापस करने ललित किशोर को देने गया तो उसने लेने से मना कर दिया। फिर मैने और फैजल ने पकडे जाने के डर से उस तमंचा को फैजल के खेत के पास झाडियों मे एक कपडे मे लपेटकर पन्नी मे रखकर फिर बोरे में लपेटकर जमीन में गाड़ दिया था। उसके बाद मेरा दोस्त फैजल बाहर चला गया। अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र रचकर हत्या कारित की गयी जिस मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी भादवि0 की बढोतरी की गयी तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर अन्तर्गत धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली भरतकूप टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह

3.आरक्षी सतीश यादव

4.महिला आरक्षी शिखा उटगेरकर

<u>गिरफ्तार करने वाली एसओजी चित्रकूट टीमः-</u>

1.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा

2.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया

3.आरक्षी रोहित सिंह

4.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

5.आरक्षी आशीष यादव

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 74/019 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मुन्ना प्रसाद पुत्र रामहित निवासी लोखरिया,सिलखोरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 1130/010 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार केवट पुत्र सूरजदीन निवासी मंडौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय, पैरोकार मुख्य आरक्षी महेश्वरदीन एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 148/019 धारा 307/34,308/34,504,506भादवि के आरोपी अभियुक्त 1. मुन्ना केवट पुत्र धर्मपाल 2.जियुगी नारायण पुत्र चंद्रमा तिवारी 3.बुद्धधन केवट पुत्र धर्मपाल निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को धारा 307,308,504,506भादवि0 में अपराध न पाए जाने के कारण दोषमुक्त किया गया तथा धारा 323,34 भादवि0 में अपराध का होना पाए जाने के कारण जेल में बिताई गई अवधि से दण्डित किया गया।